राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/परिपत्र/09/ दिनांक :

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग मे कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारीगण जो 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होते है उनका प्रकरण समय पर अनौपचारिक पूर्ण सूचनाओ (जैसे) विभागीय जांच बकाया/प्रस्तावित की सूचना, सेवापुस्तिका के पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक की प्रमाणित प्रति एवं सेवाविवरण) सहित निदेशालय को नहीं भिजवाया जाता है जिसके कारण कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आदेश समय पर जारी नहीं हो पाते है तथा पेंशन प्रकरण तैयार करने मे भी अनावश्यक विलम्ब होता है। जबकि निदेशालय द्वारा समय समय पर निर्देश प्रदान किये हुये है कि जो कर्मचारी जन्मतिथि के आधार पर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हो, उनकी सेवानिवृत्ति का प्रकरण सेवानिवृत्त तिथि से 1 वर्ष पूर्व पूर्ण सूचनाओं सहित निदेशालय को भिजवाया जावें लेकिन आप द्वारा प्रकरण न तो समय पर भिजवाये जाते है और न ही पूर्ण सूचनाओं सहित भिजवाये जाते है।

अतः आपको पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि आप अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण को निम्नलिखित सूचनाओं सहित शीघ्र निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे :

1. अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का प्रकरण सेवानिवृत्त तिथि से 1 वर्ष पूर्व।
2. स्वेच्छिक सेवानिवृत कर्मचारियो का प्रकरण निदेशालय मे कम से कम 2 माह पूर्व।
3. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मूल सेवापुस्तिका के पृष्ठ 1 से 4 की छाया प्रतियां प्रमाणित।
4. विभागीय जांच बकाया/प्रस्तावित नहीं की सूचना।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पूर्ण सेवा विवरण।

कृपया पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/परिपत्र/09/2192 दिनांक : 27/10/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह ....
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए (जोन), राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. कार्यालय अधीक्षक, गोपनीय अनुभाग (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों/चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध मे चाही गई विभागीय जांच की सूचना आप 7 दिवस मे आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आदेश/चयनित वेतनमान आदेश समय पर जारी किये जा सके।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर